सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु ऑपरेशन मेन्टेनेन्श की व्यवस्था

जनपद की कुल ग्राम पंचातयों मे गत वर्षो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना तैयार कर नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करते हुये कार्य कराया जा चुका है/कराया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में घर–घर कूड़ा प्रबन्धन हेतु ठोस कचरा प्रबन्धन केन्द्र, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, डस्टबिन का कार्य आदि को सामुदायिक स्तर पर किया गया है। इसी प्रकार कच्चे खाद के गढ्ढे, कम्पोस्टपिट व नाडेप पिट को ग्राम पंचायत में व्यक्गित स्तर पर निर्माण कराया गयाा। व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त किये गये संशाधनों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी व्यक्गित लाभार्थी की है एवं सामुदायिक स्तर पर स्थापित संसाधनों के संचाालन हेतु ग्राम पंचायत ,द्वारा सफाई कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी के सहयोग से देख रेख की जा रही है। आर0आर0सी0 संचालन एवं वर्मी कम्पोस्ट हेतु ग्राम पंचायत द्वारा रेवेन्यू मॉडल आधार पर जिसमें ग्राम पंचायत में स्थापित घरों, सार्वजनिक स्थलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों मॉडल शॉप बैंक शिक्षण संस्थान, फैक्टी आदि स्थानों से कूडा की मात्रा के आधार पर स्वच्छता शुलक का निर्धारण ग्राम पंचायत स्तर पर कराते हुये स्वच्छता शुल्क वसूले जाने का प्रयास किया जा रहा है। समस्त ग्रम पंचायतो में संचालन में कार्यरत कर्मिको के मानदेय को वित्त आयोग की धनराशि, ओ0एस0आर0 में सृजित धनराशि एवं स्वच्छता शुल्क प्राप्त धनराशि के माध्यम से मानदेय दिया जायेगा।